

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही
(बड़जलास गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

(1) पंचायत निगरानी संख्या: 252/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही
2. इन्द्रा देवी पत्नी हरिशंकर, जाति-पुरोहित, निवासी-वाटेरा, तह.पिण्डवाडा, जिला-सिरौही

(2) पंचायत निगरानी संख्या: 256/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही
2. मंजूदेवी पत्नी भेराराम, जाति-घांची, निवासी- वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरौही

(3) पंचायत निगरानी संख्या: 263/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही
2. सुगनादेवी पत्नी हीराराम, जाति-जणवा, निवासी-वाटेरा, तह.पिण्डवाडा, जिला-सिरौही

(4) पंचायत निगरानी संख्या: 264/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही
2. सुगनादेवी पत्नी चम्मालाल, जाति-घांची, निवासी-वाटेरा, तह.पिण्डवाडा, जिला-सिरौही

(5) पंचायत निगरानी संख्या: 267/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरौही


बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही
2. रोम देवी पत्नी सादलाजी, जाति-रेबारी, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरौही

.....पेज दो




बति. जिला कलेक्टर
सिरौही (राज.)

(6) पंचायत निगरानी संख्या: 270/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

2. करुणादेवी पत्नी गोविन्द, जाति-पुरोहित, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

(7) पंचायत निगरानी संख्या: 286/2020

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

2. लीलादेवी पत्नी माधुराम, जाति-पुरोहित, निवासी-वाटेरा, तह. पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति:

1. श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही
2. श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा

-: निर्णय :-


दिनांक 18 मार्च, 2021

(1) संक्षिप्त में इन प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा उपर्युक्त अनवान के अलग अलग निगरानी आवेदन. ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत प्रारूप-23ख में जारी पट्टा विलेख संख्या क्रमशः 12007 दिनांक 08.6.2017, 12011 दिनांक 08.6.2017, 12018 दिनांक 08.6.2017, 12019 दिनांक 08.6.2017, 12022 दिनांक 08.6.2017, 12025 दिनांक 08.6.2017, व 12042 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये हैं।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही के क्षेत्राधिकार के होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही में प्रस्तुत किये गये। जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक:कोर्ट/2020/742-43 दिनांक 20.10.2020 से उक्त निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किये जाकर इन सभी निगरानी प्रकरणों में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। इन प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या-2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी इस

....पेज तीम




जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत निगरानी संख्या: 252/2020, 256/2020, 263/2020, 264/2020, 267/2020,
270/2020 व 286/2020

न्यायालय में उपस्थित नहीं होने एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से जवाब भी प्रस्तुत नहीं होने के कारण इन सभी प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या-2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इन प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अलग अलग जवाब प्रस्तुत किये।

(3) उक्त सभी निगरानी प्रकरण समान तथ्यों एवं समान कानूनी बिन्दुओं पर आधारित होने एवं ये सभी निगरानी प्रकरण ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा जारी पट्टा विलेखों से संबंधित होने के कारण इन सभी निगरानी प्रकरणों में संयुक्त रूप से बहस सुनी जाकर इन प्रकरणों का एक ही निर्णय के द्वारा गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

(4) इन सभी प्रकरणों में दिनांक 12.3.2021 को श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा की बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही ने निगरानी आवेदनों में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 को पारित करते हुए इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत प्रारूप-23ख में पट्टा विलेख जारी किये गये हैं, जो नियम विरुद्ध है। ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पट्टे जारी करने का निर्णय लिया गया है और पट्टा विलेख राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत प्रारूप 23 ख में जारी करना नियम विरुद्ध है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झौपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्ग गज तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्रारूप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पंचायत ग्राम की आबादी में 300 वर्गगज तक की भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वच्छकारों, पिछड़े वर्ग के सदस्यों, कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, बी.पी. एल. में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों या जिनके आवास बाढ़ के कारण बह गये हैं व भविष्य में रहने योग्य नहीं रहे हैं को रियायती दर पर/निःशुल्क आवंटन कर सकेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4(पीसी/परावि/आबादी पट्टा/2009/96 दिनांक 06.1.2020 में स्पष्ट किया है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158

...पेज चार.



श्री. जयपुर
सिरोही (पञ्च.)


पंचायत निगरानी संख्या: 252/2020, 256/2020, 263/2020, 264/2020, 267/2020,
270/2020 व 286/2020

के तहत कमजोर वर्गों को रियायती दर पर/निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है एवं बीपीएल सेन्सस 2002 के सर्वे में ऐसे परिवार जिनके पास राज्य में कोई भूखण्ड या मकान नहीं है और वे इस नियम में भूखण्ड पाने के पात्र हैं। पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4(1)परावि/पीसी/आभू/2004/597 दिनांक 18.6.2004 में स्पष्ट किया है कि पात्र परिवार की वार्षिक आय 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) से अधिक नहीं हो। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने अप्रार्थी संख्या-2 के वार्षिक आय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही एवं अप्रार्थी संख्या-2 का राज्य में कहीं पर भी आवासीय मकान या आवासीय भूखण्ड है या नहीं, की जांच किये बिना ही रियायती दर पर/निःशुल्क भूखण्ड का आवंटन करते हुए पट्टे जारी किये हैं, जो विधि अनुरूप नहीं हैं। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा को आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के तहत प्लान तैयार किये बिना ही पट्टे जारी किये हैं। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से आबादी विस्तार हेतु आवंटित आबादी भूमि का सीमाज्ञान भी नहीं करवाया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रदत्त प्रावधानों का पालन किये बिना ही अपात्र व्यक्तियों को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन कर पट्टे जारी किये हैं, जबकि अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हैं। अतः इन निगरानी आवेदनों को स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड के जारी पट्टा विलेखों को निरस्त किया जावे। बहस के दौरान ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही के कथनों की ताईद की गई।

(5) इन प्रकरणों में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावलियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.6.2017 में प्रस्ताव संख्या 7 पारित कर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लेते हुए इस प्रस्ताव 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत प्रारूप-23ख में पट्टा विलेख संख्या क्रमशः 12007 दिनांक 08.6.2017, 12011 दिनांक 08.6.2017, 12018 दिनांक 08.6.2017, 12019 दिनांक 08.6.2017, 12022 दिनांक 08.6.2017, 12025 दिनांक 08.6.2017, व 12042 दिनांक 08.6.2017 को जारी किये गये हैं।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(1) के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 3000 वर्गगज तक कि आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को, गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों,
....पेज पांच




श्री. विद्या लाल
शिरौही (पंच.)

पंचायत निगरानी संख्या: 252/2020, 256/2020, 263/2020, 264/2020, 267/2020,
270/2020 व 286/2020

विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडियों लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, को रियायती दरों पर आवंटन कर सकेगी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक:राजस्व/2016/208 दिनांक 11.3.2016 के द्वारा ग्राम पंचायत, वाटेरा को ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 382, 697, 1148 किस्म क्रमशः गै.मु. पहाड, गै.मु. पत्थर, गै.मु. पत्थर में से रकबा क्रमशः 5.00 बीघा, 1.12 बीघा व 0.07 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-3 के अनुसार अतिक्रमण शुदा कब्जे की भूमि को बाजार दर पर राशि जमा कराने पर ही आबादी के लिये ग्राम पंचायत विक्रय कर पट्टा जारी करेगी, अन्यथा अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर दिया जायेगा। इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर पट्टा देने का निर्णय लेती है तो अतिक्रमियों के पास आवास है या नहीं, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी (मौका रिपोर्ट वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे। आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि के भूखण्डों का नक्शा प्लान तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा। पंचायती राज अधिनियम व उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार भूखण्ड पाने की पात्रता रखते है, उन्हें नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किये जा सकेंगे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन .ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार नहीं किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा के पास ऐसा कोई प्लान नक्शा उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन से खसरा संख्या नंबर में कौनसा पट्टा विलेख जारी किया है, जो उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.3.2016 की शर्त संख्या-6 का उल्लंघन है। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का निर्णय लेती है तो इन व्यक्तियों/अतिक्रमियों के पास आवास है या नहीं, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी को (मौका रिपोर्ट लेने वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत, वाटेरा ने उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 की भी पालना नहीं की है। इससे, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार करवाये बिना ही एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158

तहत अप्रार्थी संख्या-2 के रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन की पात्रता की जांच

....पेज छः




श्री. विनायक
किरोड़ी (पट.)

पंचायत निगरानी संख्या: 252/2020, 256/2020, 263/2020, 264/2020, 267/2020,
270/2020 व 286/2020

किये बिना ही रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के पट्टा विलेख जारी किये हैं, जो विधि सम्मत नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेबारी समाज के व्यक्तियों के पुराने आवास बने हुये हैं, परन्तु उनको राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पट्टे जारी किये गये हैं, जबकि इन्हें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत पट्टे जारी करने थे।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत इन सभी निगरानी आवेदनों को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत प्रारूप 23ख में जारी पट्टा विलेख संख्या क्रमशः 12007 दिनांक 08.6.2017, 12011 दिनांक 08.6.2017, 12018 दिनांक 08.6.2017, 12019 दिनांक 08.6.2017, 12022 दिनांक 08.6.2017, 12025 दिनांक 08.6.2017, व 12042 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, वाटेरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार करवाकर अनुमोदन करवाये। उसके बाद अप्रार्थी संख्या-2 के राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता की जांच करे कि उक्त नियम 158 में वर्णित श्रेणी का अप्रार्थी संख्या-2 व्यक्ति है अथवा नहीं? अप्रार्थी संख्या-2 के पास आवास हेतु मकान या भूखण्ड उपलब्ध है अथवा नहीं? एवं अप्रार्थी संख्या-2 की आय की भी जांच करे। यदि जांच में अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने का पात्र व्यक्ति होना पाया जाता है तो उन्हें पुनः नियमानुसार भूखण्ड आवंटन करने की कार्यवाही करे। साथ ही, ग्राम पंचायत, वाटेरा को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अप्रार्थी संख्या-2 का ग्राम वाटेरा में पुराना आवासीय गृह बना हुआ है तो राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत उसे पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया। इस निर्णय की मूल प्रति पंचायत निगरानी संख्या 252/2020 की पत्रावली के साथ रखी जावे एवं अन्य प्रकरणों की पत्रावलियों में इस निर्णय की छाया प्रति रखी जावे।



(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही